भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

22 AUG 2023 अमेठी

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(प्रारूप-"अ")

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 540617

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम कु० अक्षय प्रताप सिंह(नाम अध्यक्ष) एवं श्रीमती मधुरिमा सिंह (नाम सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री उमारमण जनकल्याण समिति (सोसाइटी का नाम) जागों कोट जामों जिला अमेठी(पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है-

1- यह कि, हमारी सोसाइटी द्वारा रानी गणेश कुंवरि कालेज ऑफ फार्मेसी(संस्था का नाम) जामो जिला-अमेठी (पता) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2-यह कि, हमारी सोसाइटी श्री उमारमण जनकल्याण समिति के नाम अलीपुर पो०-जामों तहसील गौरीगंज जनपद-अमेठी(पता जहाँ पर भूमि स्थित है।) में गाटा सं0 30,32,35,36,37,38,39,44,45,46,47,48,51,54 मि0,58,59,61,64 एवं रकबा क्रमशः 0.00620,0.01270,0.04420, 0.06650,.0.02850, 0.04420, 0.00950,0.04400, 0.0630, 0.1100, 0.1770, 0.08430, 0.02280, 0.02280, 0.02640, 0.02280, 0.03540, 0.00580, 0.00380 एवं 0.8299 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8299 हेक्टेयर) भूमि है।

3-यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4-यह कि,उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 30, 32, 35, 36,37, 38, 39,44,45,46,47,48,51,54 मि0,58,59,61,64 एवं रकबा कमशः 0.00620, 0.01270, 0.04420, 0.06650,.0.02850,

NOTARY CHANDRA PRAKASH SINGH ADV. REG.NO.3383 GOVT. OF INDIA

60 10/100 श्री उमाप्रसाद जनकल्याण समीति जगदीशपुर अमेठी [illegible]

[signature]
...-38/03, ...
जिला अमेठी

[signature]

31/08/23

NOTARY
CHANDRA PRAKASH SINGH, ADV.
Reg. No. 3391
Distt. Amethi
GOVT. OF INDIA

Sl. No. 1216 Time 11:30
Solemnly affirmed before me in my office
today on 31/08/23 by [illegible] प्रताप सिंह
S/o ... प्रताप सिंह
R/o ... अमेठी year 57
the [illegible]
to the [illegible] ...plained

Date 31/08/23
NOTARY (PUBLIC)
Teh. Musafirkhana
District Amethi (U.P.)

Chandra Prakash Singh
Advocate
NOTARY (PUBLIC)
Teh. Musafirkhana, Amethi (U.P.)

0.04420, 0.00950, 0.04400, 0.0630, 0.1100, 0.1770, 0.08430, 0.02280, 0.02280, 0.02640,0.02280, 0.03540, 0.00580, 0.00380 एवं 0.8299 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8299 हेक्टेयर)पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 12/01/2020 द्वारा पारित किया गया है।

5—यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6—यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7—यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।

8—यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्क्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

9—यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों मे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् ,उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0 टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।

10— यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।

11—यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जाएगा।

12—यह कि, शासन/परिषद् द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थली निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13—मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख /दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गई विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

NOTARY
CHANDRA PRAKASH SINGH ADV.
Reg. No.3161
District Amethi
GOVT. OF INDIA

ह0 अध्यक्ष